

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन. (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,  
नई दिल्ली-110003

विषय:- कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर के कूनों राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत आने वाले ग्राम बागचा के विस्थापितों हेतु 421.00 हेक्टेयर वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।


संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 14.02.2024

---0---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी वन मण्डलाधिकारी, कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल, श्योपुर ने पत्र दिनांक 26.06.2024 एवं 05.06.2024 द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1151/2022/10-11/3723

भोपाल, दिनांक 16/07/2024

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, सिंह परियोजना शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
3. वन मण्डलाधिकारी, कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल, श्योपुर, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, श्योपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय वनमंडलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर-शिवपुरी रोड़, श्योपुर (म.प्र.) 476337

Phone No. 07530-220004 Fax No. 07530-223390

E-Mail :- dfokunowls@mp.gov.in, ddkuno@gmail.com

पत्र. क्र. / मा.चि./2024/...<sup>2979</sup>  
प्रति,

श्योपुर, दिनांक 26/06/2024

विषय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध), भोपाल  
कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाले ग्राम बागचा के विस्थापितों हेतु 421.00 हैक्टेयर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1151/2022/10-11/579, , दिनांक 25/01/2024, एवं इस कार्यालय का पृ. क्र. 608, 31.01.2024, एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2641, दिनांक 05.06.2024 तथा आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1151/2022/10-11/3254, दिनांक 20.06.2024।

विषयांतर्गत निवेदन है कि, कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर के वन क्षेत्र में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित ग्राम बागचा के विस्थापन हेतु प्रेषित Complaine Report में आवश्यक पूर्तियों उपरांत प्रतिवेदन इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 2641, दिनांक 05.06.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र द्वारा भारत शासन के पत्र दिनांक फरवरी 2024 के अनुसार Certificate indicating the extent of Nistar/community rights in the area that proposed to be vacated is attached @ page no. 2-3 in referenced letter no 2641 dated 05.06.2024. And in compliance of condition no. A(iv) The State Government shall initiate legal action for eviction of said encroachments on forest land. In response to which the State has submitted the copies of internal communications between its own officers. In this regard the State is again requested to initiate legal action for the eviction of said encroachments.

The legal process of eviction is ongoing. Documentary evidence this regards (POR registered under IFA sec. 26(1) H) attached as Annexure- C. (Page No. 07 - 40 of letter no. 2641 dated 05.06.2024)

उक्त अनुसार जानकारी पूर्व में भी संदर्भित पत्र क्रमांक 2641, दिनांक 05.06.2024 से आपकी ओर प्रेषित की जा चुकी है कृपया अवलोकन कर आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ संख्या के साथ पत्र पुनः संलग्न है।)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर. थिरूकुरल)

भा.व. से.

वनमंडलाधिकारी

01/कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर  
श्योपुर, दिनांक 26/06/2024

पृ. क्र. / मा.चि./2024/<sup>2980</sup>  
प्रतिलिपि :-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक सिंह परियोजना, शिवपुरी की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सादर सूचनार्थ।



Handwritten signature and date: 27/6/24

वनमंडलाधिकारी  
कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर





कार्यालय वनमंडलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर-शिवपुरी रोड़, श्योपुर (म.प्र.) 476337

Phone No. 07530-220004 Fax No. 07530-223390

E-Mail :- dfokunowls@mp.gov.in, ddkuno@gmail.com

पत्र क्र. / मा.चि./2024/..2641..

श्योपुर, दिनांक...05/06/2024

प्रति ,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध), भोपाल

विषय :- कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाले ग्राम बागचा के विस्थापितों हेतु 421.00 हैक्टेयर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक /एफ़-5/1151/2022/10-11/579, , दिनांक 25/01/2024, एवं इस कार्यालय का पृ. क्र. 608, 31.01.2024।

विषयांतर्गत निवेदन है कि, कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर के वन क्षेत्र में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित ग्राम बागचा के विस्थापन हेतु प्रेषित Compliance Report में आवश्यक पूर्तियों उपरांत प्रतिवेदन निम्न अनुसार प्रस्तुत है :-

- I. The state Government has not submitted the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar/ community rights as per Condition no.- A(ii).  
the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar/ community rights as per Condition no.- A(ii) is enclosed as Annexure- A
- II. The State Gov. Has not submitted documentary evidence showing that the area to be vacated is already notified RF/PF under relevant section of the Indian Forest act 1927 or state Forest act as per condition no.- B(ii).  
Documentary evidence (Working Plan Territorial Division, Sheopur) showing that the area to be vacated is already notified RF/PF under relevant section of the Indian Forest act 1927 or state Forest act as per condition no.- B(ii). is enclosed as Annexure- B
- III. As per the condition A(iv) of the Stage-1 approval it has been mentioned that the SIR submitted by IRO Bhopal mentions that Rambadi Villagers have encroached upon the forest area near the village. The State Government shall initiate legal action for eviction of said encroachments on forest land. In response to which the State has submitted the copies of internal communications between its own officers. In this regard the State is again requested to initiate legal action for the eviction of said encroachments.

The legal process of eviction is ongoing. Documentary evidence this regards (POR registered under IFA sec. 26(1) H) attached as Annexure- C.

(आर. थिरूकुरल)

भा.व. से.

वनमंडलाधिकारी

कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 05/06/2024

पृ. क्र. / मा.चि./2024/..2642..

प्रतिलिपि :-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक सिंह परियोजना, शिवपुरी की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सादर सूचनार्थ ।

वनमंडलाधिकारी

कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर



कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/आ.जा.क./वनअधिकार/2024/ 3966  
प्रति,

श्योपुर, दिनांक 18-3-24

वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल कूनो वन्य प्राणी  
वन मण्डल श्योपुर

विषय :- ग्राम बागचा के विस्थापन हेतु वन ग्राम बागचा के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गये क्षेत्र के संबध में FRA प्रमाण पत्र जारी करने बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 21.02.2024

— 000 —

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के संलग्न ग्राम बागचा के विस्थापन हेतु वन ग्राम बागचा के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गये क्षेत्र के संबध में FRA प्रमाण पत्र जारी कराने का उल्लेख किया है।

आपके द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर प्रश्चात पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सहायक आयुक्त  
आदिम जाति एवं अनु.जा.कल्याण  
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/आ.जा.क./वनअधिकार/2024/ 3967  
प्रतिलिपि :-

श्योपुर, दिनांक 18-3-24

1. कलेक्टर जिला श्योपुर।

सहायक आयुक्त  
आदिम जाति एवं अनु.जा.कल्याण  
जिला श्योपुर (म.प्र.)




No. 3966


Dated. 18-3-24

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

It is certified that an area of 421 hectare of Forest Village Bagcha was relocated from Kuno National Park, Sheopur. No Nistar/Community rights were given to the villagers in Bagcha where they have vacated from.

  
Divisional Forest Officer  
Kuno Wildlife Division, Sheopur

वनमण्डलधिकारी  
कनो वन्यप्राणी वनमण्डल, शेओपुर

  
Signature  
(Full name and official seal of the District  
Collector) (म.प्र.)  
जिला शेओपुर



मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग




क्ष्योपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

(अवधि 2020-21 से 2029-30)

परिशिष्ट

( भाग - 1 एवं भाग - 2 से संबंधित )



( अमित कुमार दुबे सा.प.से. )  
वन संरक्षक  
कार्य आयोजना ग्वालियर



**अनुक्रमणिका**  
**भाग-3 परिशिष्ट**

परिशिष्ट क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
I	वनखण्डों की अधिसूचनाओं के आधार पर विगत कार्य आयोजना से लेकर वर्तमान में वनक्षेत्र की स्थिति	1
II	वनमण्डल के वनक्षेत्र का विवरण - एक नजर में	2-90
III	वनमण्डल के कक्षों में वन घनत्व का विवरण	91-121
IV	वनमण्डल में कक्षवार संनिधि मानचित्रण के परिणाम	122-204
V	अधिसूचित एवं डिजिटाइज्ड क्षेत्रफल में $\pm$ प्रतिशत अंतर दर्शाने वाला पत्रक	205-209
VI	टोपोग्राफी क्षेत्रफल विवरण	210-266
VII	वनमण्डल के अंतर्गत स्थित वनविश्राम गृह एवं अन्य भवन का विवरण	267-271
VIII	श्योपुर वनमण्डल के वनमार्गों की जानकारी	272-273
IX	श्योपुर वनमण्डल के अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि रेखाओं की जानकारी	274
X	कार्य आयोजना क्षेत्र में वार्षिक औसत दैनिक अधिकतम तापमान	275-276
XI	कार्य आयोजना क्षेत्र में वार्षिक औसत दैनिक न्यूनतम तापमान	277-278
XII	कार्य आयोजना क्षेत्र में वर्ष 1942 से 2008 तक के वर्षों के मासिक आँकड़े	279-280
XIII	श्योपुर वनमण्डल के अंतर्गत वनग्रामों की सूची	281-282
XIV	वन अधिकार अधिनियम के तहत वितरण किये गये हकप्रमाण-पत्रों की सूची	283-354
XV	मृदा हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी	355-375
XVI	म.प्र. संरक्षित वन नियम 4 जून 2015	376-390
XVII	म.प्र. ग्राम वन नियम 4 जून 2015	391-405
XVIII	म.प्र. चराई नियम	406-410
XIX	प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में प्राप्त भूमियों एवं अन्य विभागों/एजेन्सी को हस्तांतर भूमि का विवरण	411-413
XX	स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बैठक का कार्यवाही विवरण	414-416
XXI	वर्षवार विभिन्न कार्य वृत्तों एवं उपचार श्रेणियों में आबंटित कूपों/वनक्षेत्र का विवरण	417-567
XXII	पुनरुत्पादन कार्य से संबंधित पत्र, निर्देश एवं संशोधनों की प्रति का विवरण	568-591
XXIII	राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं उसके उपरान्त पुनरीक्षित संकल्प पत्र	592-611
XXIV	वनमण्डल में ग्राम वन समिति एवं वनसुरक्षा समितियों का विवरण	612-617
XXV	सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुश्रवण/मूलयांकन प्रतिवेदन का प्रारूप	618-619

*Signature*



## वनमण्डल के वनक्षेत्र का विवरण : एक नजर में

स.क्र.	उप वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	उपवन परिक्षेत्र	ब्लॉक हिंदी	LS	बीट	कार्यवृत्त	उपचार श्रेणी	कूम	क्षेत्रफल	कक्षा क्रमांक
185	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli East	RWC	DABLI EAST-II RWC TS	XIX, XVIII, XX	184.32	185
186	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli East	RWC	DABLI EAST-II RWC TS	XIV, XV, XVI, XVII	188.99	186
187	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli East	RWC	DABLI EAST-II RWC TS	XI, XII, XIII	169.11	187
188	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	RWC	KALMI RWC TS	XIX, XX	136.73	188
189	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	FFD WC	BAGHBAAZ-II FFD WC TS	IV, V, VI, VII	255.62	189
190	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	RWC	DABLI EAST-II RWC TS	I, II, III, IV, IX, V, VI, VII, VIII, X	480.10	190
191	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	FFD WC	CHAK BAMOLIYA FFD WC TS	XII, XIII, XIV, XV, XVI	358.93	191
192	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	PWC	DABLI WEST-III PWC TS	V, VI, VII	166.51	192
193	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Rambadi	RWC	RAMBADI RWC TS	IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIX, XV, XVI, XVII, XVIII, XX	614.87	193

## वनमण्डल के वनक्षेत्र का विवरण : एक नजर में

स.क्र.	उप वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	उपवन परिक्षेत्र	ब्लॉक हिंदी	LS	बीट	कार्यवृत्त	उपचार श्रेणी	कूम	क्षेत्रफल	कक्षा क्रमांक
194	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Rambadi	RWC	RAMBADI-II RWC TS	IX, V, VI, VII, VIII, X, XI	372.78	194
195	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Rambadi	RWC	RAMBADI-III RWC TS	I, II, III, IV	250.03	195
196	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Dabli West	RWC	RAMBADI-III RWC TS	XIX, XVI, XVII, XVIII, XX	294.63	196
197	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Rambadi	RWC	RAMBADI-III RWC TS	XI, XII, XIII, XIV, XV	263.12	197
198	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Rambadi	RWC	RAMBADI-II RWC TS	XII, XIII, XIV, XV	227.60	198
199	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Chakbamudiya	RWC	BHELA RWC TS	XIV, XIX, XV, XVI, XVII, XVIII, XX	371.31	199
200	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Chakbamudiya	RWC	RAMBADI-II RWC TS	XIX, XVI, XVII, XVIII, XX	253.00	200
201	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Chakbamudiya	FFD WC	CHAK BAMOLIYA FFD WC TS	IX, VIII, X, XI	333.11	201
202	शयोपुर	शयोपुर	सोई (मु. सोई) वनघौली	शयोपुर	RF	Chakbamudiya	FFD WC	CHAK BAMOLIYA FFD WC TS	XIX, XVII, XVIII, XX	259.99	202



R.C. No. 45/2024

Annexure - 'C'

कार्यवाही का तख्ता (मुकदमा का रोजनामचा)

(1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ

(2) मुलजिमों के नाम, व सकूनत

(3) तारीख बकूआ जुर्म 30/03/2024

(5) पता बताने वाले की और वक्त \_\_\_\_\_



(7) इबादाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 30/03/2024

0.50 हैक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण  
महेश पुत्र सियाराम निवासी रामबाड़ी

(4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री परन सिंह जाटव (काय)

(6) इबादाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी रवानगी कर तारीख और वक्त P.O.R. NO. 406  
8

दिनांक 30-03-24

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त  (1)	मुकाम  (2)	तहकीकात करने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इंड्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये  (3)	हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख  (4)
30/03/2024	वन चौकी सोई	<p>मूलतः- श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी श्योपुर की सेवा में वन अपराध प्रकरण F.O.C.R. पंजी में दर्ज हेतु छाहर प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>प्रभारी</b>  <b>वन चौकी सोई</b>  <b>वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)</b> </p> <p>जा.क्र. 830/4.4.24</p> <p>मूलतः वन चौकी प्रभारी सोई की ओर से जाकर लेख है निप्रकरण को सम्पूर्ण जांच 07 दिवस में पूर्ण कर अपराधी के विरुद्ध न्यायालय श्योपुर में परिणाम प्रस्तुत कर इस जाचलिप को अग्रगत कराये।</p> <p style="text-align: right;">   <b>वन परिक्षेत्राधिकारी</b>  <b>वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)</b> </p>	



RC.No. 43/2024

(MPFO-3-2004)

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय प्रति

(परिक्षेत्र प्रति)

406 विभाग

पुस्तक क्रमांक.

पृष्ठ क्रमांक.

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 30/03/2024

8

वनमण्डल बुधोपुर

परिक्षेत्र बुधोपुर

बीट डावली पश्चिम

परिक्षेत्र सहायक वृत्त

बौध

1.	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता 1. मोहन फूल सिंघानिया 35 23 वर्ष 2. निधारी बाबराडी 3.
2.	वन अपराध का प्रकार :- म/व नं 1927 अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ की धारा उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ 26 (1) अ आरा मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य
3.	वन अपराध घटित/संज्ञान होने का वीट/क्षेत्र/पश्चिम स्थल :- काशी काशी 192
4.	वन अपराध घटित होने की तिथि/ 30/03/2024 अनुमानित अवधि :-
5.	जप्तशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6.	गवाहों के नाम एवं पता :- 1. मिनोजगोड 40 20 2. शिवराम शर्मा 40 20
7.	घटना का संक्षिप्त विवरण :- प्राथमिक पुस्तिका 0-50 टेवरेट वन शीट पर, मध्य प्रदेश
8.	वन अधिकारी के हस्ताक्षर [Signature] नाम : सुनील कुमार पद : वन विभाग, बुधोपुर
9.	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक

शाक्षेमुखा-769-बमसावमण्योपुर-28-2-14-500 बुक्स.



मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक एवं समय	अपराधी का नाम तथा सकूनत	जप्तशुदा माल का विवरण	जप्ती हेमर का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
30-03-24	महेशा पुत्र विद्याराज खंजारा उम्र उम्र 23 वर्ष निवासी रायबारी	0.50 टन वनोत्पाद घट मूँछ घास बीट डाम्बमी परलिंग कुस-कुमांड 192	—	श्री सुरेन सिंह जाटव छापीपाछु वनपाल	श्री मनोप्रसन्न बनरज श्री गौराशंकर ब.ए.	महेशा

साक्षी एवं उनका पूरा नाम  
1. श्री गौराशंकर वनपाल  
2. श्री सुरेन सिंह जाटव

जप्त करने वाले ऑफिसर के हस्ताक्षर



जमानत नामा R.No. 43/2024

मैं जमानतदार हरिश्चंकर पुत्र प्रेधा जाति बंजारा उम्र 38 वर्ष  
निवासी रामबाड़ी का होकर न्यायालय के प्रकरण क्र. 406/08 में नियत दिनांक  
30-3-24  
को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

हरिश्चंकर

हस्ताक्षर जमानतदार

मुचलका नामा

मैं महेश पुत्र विपाराम जाति बंजारा उम्र 23 वर्ष  
निवासी रामबाड़ी को होकर न्यायालय के प्रकरण क्र. 406/08 में नियत  
30-3-24  
दिनांक को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ  
कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह  
मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

महेश

हस्ताक्षर

प्रभारी  
जन चौकी साई  
जन परिक्षेत्र रायपुर (म.प्र.)





R.S.No. 43/2024

कार्यवाही का तख्ता (मुकदमा का रोजनामचा)

- (1) तहसील जुर्म और तहसील माल जो गिरफ्तार हुआ  
 (2) मुलजिमों के नाम व सकूनत  
 (3) तारीख बकूआ जुर्म 30/03/24  
 (5) पता बताने वाले की और वक्त  
 (7) इकतदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 30/03/24

0.70 टैक्टेयर वर भूमि में श्रवैध श्रतिकूमण  
 हरिशंकर पुत्र मेधा बिजारा निवासी रामबाड़ी  
 (4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री पूरन सिंह जाख  
 (6) इकतदाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी रवानगी कर तारीख और वक्त P.O.R. No. 406  
6  
दिनांक 30-03-24

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त  (1)	मुकाम  (2)	तहकीकात करने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इद्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये  (3)	हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख  (4)
30/03/24	वन चौकी सोई	<p>मूलतः - श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी श्योपुर की सेवा में वन अपराधपृच्छण F.O.C.R. पंजी में दर्ज हेतु सारद संश्लेषित है।</p> <p style="text-align: center;">             प्रभारी            वन चौकी सोई            वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)            जा.क्र. 828/प.प. 24         </p> <p>मूलतः वन चौकी प्रभारी सोई की ओर दी जाकर लिख है कि आप प्रकरण की सम्पूर्ण जांच पूर्ण कर प्रकरण में न्यायालय श्योपुर में परिवाद प्रस्तुत कर इस न्यायालय में अवगत कराये।</p> <p style="text-align: right;">             वन परिक्षेत्राधिकारी            वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)         </p>	



RC. No. 43/2024

(MPFO-3-2004)

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय प्रति

(परिक्षेत्र प्रति)

वन विभाग

406

पुस्तक क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 30/03/2024

6

वनमण्डल शमोपुर परिक्षेत्र शमोपुर

बीट डावलीपरिम परिक्षेत्र सहायक वृत्त शो

1.	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	हरी प्रकाश डा.प. मे.वा. डा.प. 38844
2.	निवासी ग्राम/वडी
3.	
2.	वन अपराध का प्रकार :- मा.व.न.स. 1927 अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ वन क्षति उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ 26 (1) जे आरा मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य
3.	वन अपराध घटित/संज्ञान होने का स्थल :- बीट डावलीपरिम 91/91/10/12.F. 192
4.	वन अपराध घटित होने की तिथि/ अनुमानित अवधि :- 30/03/2024
5.	जप्तशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6.	गवाहों के नाम एवं पता :- 1. मनोहरा 9026 2. शैलेश शर्मा 0626
7.	घटना का संक्षिप्त विवरण :- पु.प.नं./उ.प.नं. 0.70 एकाड़ वन क्षेत्र पर अतिक्रमण
8.	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : पूरनासह का.ल. पद : कमिश्नर वनपाल
9.	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक


शाक्षेमुखा - 769 - वर्मसावमंथोपुर - 28-2-14 - 500 युक्स.





हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले पंच पंचान सही-सही तस्वीक कर पर पंचनामा लिखा रहे है कि आज दिनांक 30/03/2024 को श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी महोदय श्योपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 480 दिनांक 29/02/2024 के परिपालन में वन चौकी प्रभारी सोई के हमराह रहकर वन स्टाफ सोई बीट डबली पश्चिम के वन कट्टा क्र. RF/92 में पूर्व का अतिक्रमण की जांच हेतु मौके पर गए। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमक द्वारा गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे अतिक्रमक काटकर मौके (अतिक्रमित क्षेत्र) से ले गया। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमित क्षेत्र में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पछने पर उसने अपना नाम हरिशंकर पुत्र मेधा बजारा निवासी रामवाडी जिला श्योपुर का होना बताया। तथा कहा कि यह मेरा खेत है। उक्त खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) में मेरे पिताजी द्वारा खेती की जाती थी। अब वर्तमान में मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे द्वारा उक्त क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे मैंने काट लिया है। और अपनी चरम आवश्यकता की पूर्ति के लिए उक्त गेहूं की फसल को बाजार में बेच दिया। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर 0.70 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण होना पाया गया। मौका पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जख्त काम आवे। पंचनामा पढ़ा, सुना, सही पाया गया बाद हस्ताक्षर किए।


पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया  
 वीट प्रभारी - डबली पश्चिम  
 कामवाही वनपाल

हस्ताक्षर अतिक्रमक

  
 मनोज कुमार  
 वीट प्रभारी (जवाही)  
 30/03/2024

  
 नन्द लाल  
 वीट प्रभारी

  
 हरिशंकर

  
 महेश कुमार  
 वीट प्रभारी



मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक	अपराधी का नाम तथा सकुनर	जप्तशुदा माल का विवरण	जप्ती हेतु का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
5-11-20-09	हरिशांकर कुंभ मेधा खेजरा निवासी रायबंदी	0-70-80 बसभूखे पाट त्रिवेद्या अतिरिक्त वीट्टा बबली परिसर केवनकुसुम क्रांति R.F. 192 में	-	श्री पूरन सिंह जाखन कारिपाट्ट वनपाल	श्री प्रमोद कुमार वनरक्षक श्री हरि प्रकाश वनरक्षक	हरिशांकर

साक्षी एवं उनका पूरा नाम

1. श्री प्रमोद कुमार वनरक्षक  
2. श्री हरि प्रकाश वनरक्षक

Only  
जप्त करने वाले  
ऑफिसर के हस्ताक्षर



जमानत नामा

R.C.No. 43/2024


मैं जमानतदार सरवज पुत्र त्रेघा जाति बंजारा उम्र 42 वर्ष

निवासी रामवाडी का होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/06 में नियत दिनांक 30-03-24

को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि

उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत

राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर जमानतदार

मुचलका नामा


मैं हरिशंकर पुत्र त्रेघा जाति बंजारा उम्र 38 वर्ष


निवासी रामवाडी को होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/06 में नियत दिनांक 30-03-24

को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ

कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह

मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर

  
वन चौकी चौई  
वन चौकी चौई रायपुर (म.प्र.)



कार्यवाही का तख्ता (मुकदमा का रोजनामचा)

R.C.N. 54  
2024

1. 912 डब वनपुमि पट अवेर प्रतिक्रमण  
शंकर राजू पुत्र ठाकरिया बेजारा उम्र 58 वर्ष निवासी रामबाई
- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ
  - (2) मुलजिमों के नाम, व सकूनत
  - (3) तारीख बकुआ जुर्म 04-05-24
  - (4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री पूरन जाट
  - (5) पता बताने वाले की और वक्त
  - (6) इब्तदाई रिपोर्ट का नम्बर और कथिणाइक वनपाए उसकी खानकी कर तारीख और वक्त 406/10  
04-05-24
  - (7) इब्तदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त

(1) तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	(2) मुकाम	(3) तहकीकात अकरने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इन्द्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये	(4) हुक्म पाने वाले के दस्तखत मय तारीख
04-05-24	छाई	<p>मूलतः श्रीमान वनपुमि प्रजाधिकारी मेहदप श्येकर की मोट प्रकण P.O.C.R. पंजी में दर्ज हुई छाट प्रमुट है।</p> <p>1032 13-05-24</p> <p>मूलतः वनपुमि प्रजासी छाई की मोट ही जाकट लेख हैकि आप प्रकण की सम्पूर्ण जंन्य मर्ज कर प्रकण में अपरां छिपा के निरुद आपाल में परिवार प्रमुट के। हुवा इस आपालन के त्रवगत करे।</p>	

प्रभारी  
वन चौकी सॉई  
वन निवेश प्रयोपर (म.प्र.)

वन परिक्षाधिकारी  
वन परिक्षा श्येपुर (म.प्र.)



हम पंच अधोहस्ताक्षरता तस्वीर कर यह पंचनामा बनवा देते हैं। आज दिनांक 04.05.2024 को श्रीमान कनपरिनेत्राधिकारी महोदय शोपुर के अर्जिलेशन पत्र क्रमांक 480 Date 29.02.2024 के परिपालन में कन-जोड़ी प्रभारी खाई के हमराह रहकर कन स्टॉफ सोई बटि डारला पश्चिम के कु.क्र. Rf 192 में फ्री डा अतिक्रमण की जाँच हेतु मौजे पर गए। मौजे पर अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमण द्वारा गेहूँ की फसल बरि गई थी। जिसे अतिक्रमण द्वारा आउटर मौजे (अतिक्रमित क्षेत्र) से ले-जाया गया। मौजे पर अतिक्रमण क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमित क्षेत्र में एक प्लांट मिला जिसका नाम पात पृष्ठ पर अपने अपन नाम राजू राजू 30 ठाकरिया बंजारा निवा रामबाड़ी जिला शोपुर अ- 58 वर्ष देना बताया। उसके द्वारा यह कहा गया कि यहाँ मेरा खेत है अतः खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) में मेरे पिताजी ठाकरिया 30 भांगिया बंजारा निवासी रामबाड़ी द्वारा विगत लगभग 50 वर्ष से खेती की जाती रही है। अब वर्तमान में, मैं खेती लगभग 35 वर्ष से कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अतः क्षेत्र में गेहूँ की फसल बरि गई थी। जिसे मैंने आउट लिया है। और अपनी धरल आवरणता की शर्त के लिए अतः गेहूँ की फसल को बाजार में बेच दिया। मौजे पर अतिक्रमित क्षेत्र निरीक्षण करने पर 1.912 हेक्टेयर का क्षेत्र में अतिक्रमण देना पाया गया। मौजा पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जरूरत आए आवे। पंचनामा पदा धूना सही पाया गया बाद हस्ताक्षर किया

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया Atul

04.05.2024  
अतुल नोडिया  
व.र.



हस्ताक्षर/अंशुता निशा  
अतिक्रमण

कनपरिनेत्राधिकारी  
खाई

Sarabhi  
सौरभ शर्मा  
बीट प्रभारी  
कनजोड़ी

04/05/2024

पंचनामा अधिकारी  
कार्यवाही करण

Mishra  
सहेन्द्र कु.मिश्रा  
व.र.



(MPFO-3-2004)

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय प्रति

(परिक्षेत्र प्रति)

406 वन विभाग

पुस्तक क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 4/5/2024 10

वनमण्डल रामपुर परिक्षेत्र रामपुर

बीट परिक्षेत्र सहायक वृत

1.	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	शंकर राम शंकर दा का (बही बनजा)
2.	राम शंकर शंकर दा का (बही बनजा)
3.	
2.	वन अपराध का प्रकार :- मूठ वंश 01927 अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ कोषार 26(1)ज उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ आरा मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य
3.	वन अपराध घटित/संज्ञान होने का स्थल :- वीट 197 स्थल :- रामपुर बीट 197
4.	वन अपराध घटित होने की तिथि/ अनुमानित अवधि :- 4/5/2024
5.	जप्तशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6.	गवाहों के नाम एवं पता :- 1. चन्दा राम शंकर दा का (बही बनजा) 2. शंकर राम शंकर दा का (बही बनजा)
7.	घटना की संक्षिप्त विवरण :- पंचनामा पुरा 197 1. 912 वन क्षेत्र वन क्षेत्र 197 का 197
8.	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : सुरेश कुमार पद : वन विभाग रामपुर
9.	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक R.C.N. 59 5/5/2024


शाक्षेपुरवा-769-बयंसावमंश्योपुर-28-2-14-500 बुक्स




मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

R.C.N. 59  
2024

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक	अपराधी का नाम तथा सकुनत	जतशुदा माल का विवरण	जप्ती हेमर का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
04-05 2024	शंकर राजू शं शंकरिणी बंजारा उम- 58 वर्ष मि० रामबानी	बीट्टटखली पक्षिगा के वनकत आउं R.F. 192 भि 1-912 डू वनसेज पट शुवेद्य मंत्रिकेयम	-	पूरु सिंह जोरव डार्मिवाण्डु बमपाल बीरगाड- डाबली पारखिम	श्री नन्दमान गच्छीपा श्री अर्पिवाडु वगपाल श्री सुबुल गोशिया बगरइक	शंकर शंकर राजू 

  
जप्त करने वाले  
ऑफिसर के हस्ताक्षर

साक्षी एवं उनका पूरा नाम


- श्री नन्दमान रमेशरिपा कपिवाडु बनपाल
- श्री सुबुल गोशिया बगरइक



R.C.W 58  
2024

## जमानत नामा


मैं जमानतदार हरिशंकर पुत्र मेधा जाति बेजारा उम्र 38 वर्ष  
निवासी शाम्बाड़ी का होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/10 में नियत दिनांक  
04-05-24  
को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।




हस्ताक्षर जमानतदार

## मुचलका नामा

मैं शंकर शंजु पुत्र ठाकुरिया जाति बेजारा उम्र 58 वर्ष  
निवासी शाम्बाड़ी को होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/10 में नियत  
04-05-24  
दिनांक को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ  
कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह  
मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।



हस्ताक्षर

  
प्रभारी  
वन चौकी सोंई  
वन परिक्षेत्र रयोंपुर (म.प्र.)



कार्यवाही का तख्ता (मुकदमा का रोजनामचा)



R.C. 61

2024

0.92 हेक्टेयर वनभूमि पर अविद्य मंत्रिकमय  
रामनिवास पुत्र प्रह्लाद बंजारा निवासी रामवादी

- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ
- (2) मुलजिमों के नाम, व सकूनत
- (3) तारीख बकुआ जुर्म 04-05-24
- (5) पता बताने वाले की और वक्त
- (7) इक्वदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त

- (4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री पुरन जाटव
- (6) इक्वदाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी खानकी कर तारीख और वक्त 406/12  
04-05-24

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त (1)	मुकाम (2)	तहकीकात अकरने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इंदाज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये (3)	हुक्त पाने वाले के दस्तखत मय तारीख (4)
04-05-24	चोंई	<p>मूलतः श्रीमान वनपरिवेक्षणधिकारी गैबलप शेवोल्ट की आट प्रकरण P.O.C.R. पंजी में दर्ज हेतु आट प्रसूट है।</p> <p style="text-align: center;">                       वन चौकी चौकी                      वन परिसर श्यापुर (मजरा)                 </p> <p>1034 13-05-24</p> <p>मूलतः वनरॉकी प्रमारी चोंई की आट प्रकरण लेख हेतु आप प्रकरण की समूहों जाल बर्न आट प्रकरण अपने आट प्रकरण 07 दिवस में इस कोर्टालप में प्रसूट है। इस न्यायालय में परिवार प्रसूट आट इस कोर्टालप के अंतर्गत है।</p> <p style="text-align: center;">                       वन परिसर श्यापुर (मजरा)                 </p>	



R.C.N. 61  
2024 HVB

(MPFO-3-2004)

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय प्रति  
(परिक्षेत्र प्रति)

वन विभाग

406

पृष्ठ क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

दिनांक 4/5/2024

12

परिक्षेत्र मोड़

परिक्षेत्र सहायक वृत्त

अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता	
1. शिवान रास	पु. ५६ मा. ५५
2. राम २५ वर्ष	३६ २५ वर्ष
3.	
वन अपराध का प्रकार :-	मोड़
अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/	
उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/	काट २६/१
आग मंशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य	
वन अपराध घटित/संज्ञान होने का स्थल :-	मोड़
वन अपराध घटित होने की तिथि/ अनुमानित अवधि :-	4/5/2024
जप्तशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)	
गवाहों के नाम एवं पता :-	
1. प. ५५ मा. रामपुरी	मा. ५५ मा. ५५
2. मोड़	
घटना का संक्षिप्त विवरण :-	मोड़
वन अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम :-	मोड़
पद :-	मोड़
परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक	R.C.N. 61 2024

शासकगृह-769-बमसावमंरोपुर-28-2-14-500 बुक्स



हम पंच अधीहस्ताक्षरकर्ता तस्दीकु वर यह पंचनामा बनवा देते हैं कि आज दिनांक 04.05.2024 को वर्तमान वनपरिक्षेत्राधिकारी मधेदश श्योपुर के आयोजित पत्र क्रमांक 480 दिनांक 29.02.2024 के परिपालन में वन चौकी प्रमारी सोई के हमराह रहकर वन स्टाफ सोई वीर सबली पश्चिम के उ.क. RF 192 में पूर्व के अतिक्रमण की जांच हेतु मौके पर गए। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमक द्वारा गेहूँ की फसल बोई गई थी, जिसे अतिक्रमक द्वारा डायर (अतिक्रमित क्षेत्र) से ले जाया जा चुका है। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमित क्षेत्र में रुख धांके दिखाई दिया। उस धांके को बुलाकर उससे प्रहताह करने पर उसने अपना नाम रामनिवास अ० प्रहलाद बंजारा उम्र-24 निवासी रामबाड़ी धोना बताया। इसके द्वारा यह कथ गया कि यह खेत मेरा है अतः खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) को मेरे पिता जी प्रहलाद अ० पन्ना बंजारा निवासी रामबाड़ी द्वारा लगभग 41 वर्ष से खेती कर रहे थे। अब वर्तमान में, मैं अतः खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) में लगभग 08 वर्ष से खेती कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अतः क्षेत्र में गेहूँ की फसल बोई गई थी जिसे मेरे द्वारा कर कर अपनी धरल आवस्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में बच दिया गया है। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान 0.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण धोना पाया गया। मौका पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा  
लिपिकृत अ० गच्छ A.I.O  
04.05.2024  
अनुल नोडिया  
व.र.

रामनिवास  
हस्ताक्षर अपराधी

~~Handwritten signature~~  
वन चौकी प्रमारी  
सोई

Sarabh  
सौरभ शर्मा  
(व.र.)

~~Handwritten signature~~  
04/05/2024  
पंचनामा  
अनुल नोडिया व.र.


Mishra  
महेन्द्र कुमार मिश्रा  
व.र.




मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

R.C.P. 61  
2024

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक	अपराधी का नाम तथा सकृत	जातशुदा माल का विवरण	जप्ती हेमर का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
05 04 2024	रामनिखल शर्मा महलाएं बंजार अस- 247 नि० रामवाड़ी	बीट डबली पहलिया के वनकेश शर्मा P.F. 192 में 0.92 के वनश बेड पट मूँछा मरिक्केका	-	पुस सिंह जाटव अर्जवाहन वनपाल बीटाई - डाबली पारचम	पुसमान रामपुरिस आ० वनपाल	

  
जप्त करने वाले  
ऑफिसर के हस्ताक्षर

साक्षी एवं उनका पूरा नाम

पुसमान रामपुरिस... आ० वनपाल  
आतुल... बी.एस.ए. ... आ० वनपाल



जमानत नामा

R.C.N. 61  
2024

मैं जमानतदार धनपाल पुत्र प्रह्लाद जाति बंजारा उम्र 35 वर्ष  
निवासी रामवाडी का होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/12 में नियत दिनांक  
04-05-24  
को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

धनपाल

हस्ताक्षर जमानतदार

मुचलका नामा

मैं रामनिवास पुत्र प्रह्लाद जाति बंजारा उम्र 247  
निवासी रामवाडी को होकर न्यायालय के प्रकरण क्रं. 406/12 में नियत  
04-05-24  
दिनांक को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ  
कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह  
मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

रामनिवास

हस्ताक्षर

प्रभारी

वन चौकी सॉई  
वन परिक्षेत्र इधोपुर (म.प्र.)



(1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ

(2) मुलजिमों के नाम, व सकूनत

(3) तारीख बकुआ जुर्म 04-05-24

(5) पता बताने वाले की और वक्त

(7) इब्दाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त



0.60 ह० बनसूरी पर भेदध भ्रतिक्रमण

गोकुल पुत्र रामप्रसाद बंजारा 8 म्र 27 वर्ष निवासी रामबाड़ी

(4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री प्रमज ख

(6) इब्दाई रिपोर्ट का नम्बर और कृष्णचंद्र बजपाल उसकी खानकी कर तारीख और वक्त

406/11  
04-05-24


तहकीकात शुरु होने की तारीख और वक्त (1)	मुकाम (2)	तहकीकात अकरने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इद्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये (3)	हुक्ता पाने वाले के दस्तखत मय तारीख (4)
04-05-24	साँई	<p>मूलतः श्रीमान बनपरियोजनाधिकारी मेखन श्रेष्ठ की गोर प्रकरण F.O.C.R. पंजी में दर्ज हुआ सादर प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: right;">                       प्रभारी                      वन चौकी साँई                      वन परिक्षेत्र रयोंपुर (म.प्र.)                 </p> <p>1083 13-05-24</p> <p>मूलतः वगर्ना की प्रकारी साँई की गोर की जाकट प्रखंड की प्रकरण की सम्पूर्ण जान पूर्ण कर प्रकरण में अपराधिकों के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किये परिवार प्रस्तुत करे तथा इस कार्यालय को अवगत कराये।</p> <p style="text-align: right;">                       वन परिक्षेत्राधिकारी                      वन परिक्षेत्र रयोंपुर (म.प्र.)                 </p>	




हम पंच अधोहरताकारकर्ता तस्मिन् उर यह पंचनामा बना देते हैं कि आज दिनांक 04.05.2024 को श्रीमान वनपरिस्रोत्राधिकारी महोदय शमोपुर के अपीलधी पत्र क्रमांक 480 Dated 29.02.2024 के परिपालन में वन-चौकी प्रभारी सोई के हमारे रहकर का सॉफ़ सोई बीट डाबली पार्किंग के उ.क्र. RF 192 में पूर्व के अतिक्रमण की जाँच हेतु मौके पर गश्पि मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमण द्वारा गेहूँ की फसल बोई गई थी। जिसे अतिक्रमण द्वारा डाक्टर (अतिक्रमित क्षेत्र) से ले जाया गया। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमित क्षेत्र में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता प्रहारे पर उसने अपना नाम गोकुल भो रामप्रसाद बंजारा उम्र- 27 वर्ष निवासी रामबाड़ी होना बता उसके द्वारा यह कथ गया कि यह मैय खेत है अतः खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) को मेरे पिता जी रामप्रसाद भो सोजी बंजारा निवासी रामबाड़ी जेक द्वारा लग लगभग 40 वर्ष से खेती कर रहे थे। उनके देहांत के पश्चात् उक्त खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) को वर्तमान में, मेरे द्वारा लगभग 03 वर्ष से खेती की जा रही है। मेरे द्वारा उक्त क्षेत्र में गेहूँ की फसल बोई गई थी। जिसे मैंने उर लिया है और अपनी धरेश आवश्यकता की पूर्ति के लिए उक्त गेहूँ की फसल को बाजार में बेच दिया है। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र का निरिह करने पर 0.60 हेक्टेयर का क्षेत्र में अतिक्रमण होना पाया गया। मोडा पंचनामा बनाया गया। सभी ने पदर देखा बाद हस्ताक्षर किये। पंच सही है वक्त नखरत उग अति


पंचनामा मेरे द्वारा  
लिपिलेखित अथ


गोकुल

  
वनजीवी प्रभारी  
सोई

  
04.05.2024  
अनुबन्धी  
व.र.

Saurabh  
सौरभ शर्मा  
(व.र.)

  
04/05/2024  
पञ्चनामा  
आधी वाइक व.र.

  
महेश कुमार  
व.र.



(MPFO-3-2004)

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय प्रति  
(परिक्षेत्र प्रति)

वन विभाग

क्र. 406

पृष्ठ क्रम

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

दिनांक 4/5/2024

11

ल. 2 भोपुर

परिक्षेत्र

भोपुर

पत्नी का नाम, पिता, उम्र एवं पता

1. गोकुल शंकर रामपुरी लाला

2. उम 27 वर्ष 100 रामवाडी

3.

वन अपराध का प्रकार :- भो 988/1927  
अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ शीघारा 26(1) जं

उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ आरा मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य

वन अपराध घटित/संज्ञान होने का स्थल :- क. 21450 B.F. 192

वन अपराध घटित होने की तिथि/ अनुमानित अवधि :- 4/5/2024

जप्तशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)

गवाहों के नाम एवं पता :-

1. चन्द्रमणि रामपुरी रामपुरी

2. अमर नौकिया बरकत

घटना की संक्षिप्त विवरण :- 0.60 हेक्टर वन क्षेत्र पर कटाई

वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : पूरन सिंह पांडे

पद : कांस्टेबल वन विभाग

परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक R.C.N 60 5/5/24



मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

REV 60  
2024

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक	अपराधी का नाम तथा सकूनत	जप्तशुदा माल का विवरण	जप्ती हेमर का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
04-05-2024	गोकुलधर रामप्रसाद बंजारा अम-274 निवारी- रामबाड़ी	बट डाबली पहिनाग के वनकक्ष क्रमांक R.F. 192 में 0.60 है वनक्षेत्र पट सूक्ष्म मपिकाय	-	पुंज सिंह जाटव असेवक कमपाल वीरगार्ड - डाबली पारचिंग	श्री चन्द्रमोगरगुडिया रूपिवाहउपनाल श्री गुडुवगोरीया व.ट.	डिप्टी कमिश्नर

जप्त करने वाले  
ऑफिसर के हस्ताक्षर

साक्षी एवं उनका पूरा नाम

- श्री लक्ष्मण रामगोरीया कापिवाहउ बगाल
- श्री गुडुवगोरीया वनरक्षक



R.C.N. 60  
2024

### जमानत नामा

मैं जमानतदार अनपाल पुत्र राजप्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष  
 निवासी रामवाडी का होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. 406/11 में नियत दिनांक  
04-06-24  
 को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
 उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
 राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

अनपाल

हस्ताक्षर जमानतदार

### मुचलका नामा

मैं गोकुल पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष  
 निवासी रामवाडी को होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. 406/11 में नियत  
04-05-24  
 दिनांक ..... को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ  
 कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह  
 मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

हस्ताक्षर

गोकुल

MP  
प्रभारी

बन चौकी रोड  
वन परिक्षेत्र प्रयागपुर (म.प्र.)





R.No. 44/2024

कार्यवाही का तस्खा (मुकदमा का रोजनामचा)

- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ  
 (2) मुलजिम्ओं के नाम, व सकूनत  
 (3) तारीख बकुआ जुर्म 30/03/2024  
 (5) पता बताने वाले की और वक्त  
 (7) इब्लवाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 30/03/2024

- 1.43 ha वन भूमि में भवैद्य अतिक्रमण  
पृथ्वीदा पुत्र अकरिया निवासी रामबाड़ी  
 (4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री पून सिंह जाखन  
 (6) इब्लवाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी रवानगी कर तारीख और वक्त P.O.R.N. 406  
7  
दिनांक 30-03-24

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त  (1)	मुकाम  (2)	तहकीकात करने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इंड्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये  (3)	हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख  (4)
30/03/2024	वन चौकी सोई	<p>मूलतः - श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी श्योपुर की सेवा में वन अपराध प्रकरण F.O.C.R. नं. में दर्ज हेतु सादर संवेचित है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>प्रभारी</b>  <b>वन चौकी सोई</b>  <b>वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)</b> </p> <p>दि. 8/29/4.4.24</p> <p>मूलतः वन चौकी प्रभारी सोई को दी जाकर लेख ई कि आप प्रकरण की सम्पूर्ण फाइल में पूर्ण कर अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय श्योपुर में पखिाद जल्द कर इस कापलिथ को अवगत कराएँ।</p> <p style="text-align: right;">   <b>वन परिक्षेत्राधिकारी</b>  <b>वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)</b> </p>	



PC No. 43/2024  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

(MPFO-3-2004)  
द्वितीय प्रति  
(परिक्षेत्र प्रति)

406 पृष्ठ क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन  
तांक 30/03/2024  
परिक्षेत्र 2 जोड़  
लावणिक परिक्षेत्र सहायक वृत्त सोरभ

पराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता,  
मुहल्ला, पो. लावणिक परिक्षेत्र, जिला सोरभ

3. वन अपराध का प्रकार :- भू-तल पर 1927  
अवेध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ की द्वारा  
उत्खनन/शिकार/चराई/आंग लगाना/ 26 (1) ज  
आरा मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य

वन अपराध घटित/संज्ञान, होने का स्थल :- वन परिक्षेत्र  
वन अपराध घटित होने की तिथि 30/03/2024

5. अनुमानित अवधि :-  
जपशुदा वनोपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :-  
(सूची संलग्न है)

6. गवाहों के नाम एवं पता :-  
1. श्री राजेश्वर प्रसाद  
2. श्री राम प्रसाद

7. घटना का संक्षिप्त विवरण :- पुराने का पुराने  
1.43 हेक्टर जमीन पर अतिक्रमण

8. वन अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम : पूरुषोत्तम जायसवाल  
पद : वन अधिकारी

9. परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक



हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले पंच पंचान सही - सही तरीक कर यह पंचनामा लिखा है कि आज दिनांक 30/03/2024 को श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी महोदय श्योपुर के कार्यालयीन पत्र क्र० 480 दिनांक 29/02/2024 के परिपालन में वन चौकी नुमारी सोई के हमराह रहकर वन स्टाफ सोई बीट डाबली पार्किंग के वन कक्ष क्र० RF/92 में पूर्व का अतिक्रमण की जांच हेतु मौके पर गए। मौके पर अतिक्रमण क्षेत्र में अतिक्रमक द्वारा गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे शान्ति-कामक (अतिक्रमण क्षेत्र) मौके से काटकर ले गया। मौके पर अतिक्रमण क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमण क्षेत्र में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पृथ्वी पर उचने अपना नाम प्रहलाद पुत्र अकरिया बंजारा निवासी रामबाड़ी जिला श्योपुर का होना बताया। तथा कहा कि यह मेरा खेत है। उक्त खेत (अतिक्रमण क्षेत्र) में मेरे पिताजी द्वारा खेती की जाती थी। अब वर्तमान में मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे द्वारा उक्त क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे मैंने काट लिया है। और अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए उक्त गेहूं की फसल को बाजार में बेच दिया। मौके पर अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करने पर 1.43 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण होना पाया गया। मौका पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे। पंचनामा पढ़ा, सुना सही पाया गया बाद हस्ताक्षर किए।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखित किया गया।

वीर - डाबली पार्किंग  
कार्यवाही कक्षा

Sourabh  
सौरभ शर्मा  
(व.र.)

हस्ताक्षर  
श्रीमान अतिक्रमक

हस्ताक्षर अतिक्रमक

श्रीमान अतिक्रमक  
वीर (म.स.बी)  
30/03/2024




मेरे पुत्र अतिक्रमक  
दि.




मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक एवं समय	अपराधी का नाम तथा सकूनत	जन्मशुदा माल का विवरण	जप्ती हेमर का निसान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर
20-03-24	प्रहलादपुर वाकरीण वंजाल विगामी रामबाड़ी	वृद्धकबी परिग वनकश्यांठ R.F. 192 में कुंछ गतिक्रमण 1.43 ई० वनबनेपर	-	श्री गुरन सिंह पाख कपिवाइक वनपाल	1- श्री मनोमोहन वगरपुत्र 2- श्री चारन शर्मा वगरपुत्र	 श्री प्रहलाद

साक्षी एवं उनका पूरा नाम  
1- श्री रामनारायण वगरपुत्र  
2- श्री चारन शर्मा वगरपुत्र


  
Sarab

  
जप्त करने वाले ऑफिसर के हस्ताक्षर




जमानत नामा R.S.No. 43/2024

मैं जमानतदार शोपाल पुत्र हाकरिया जाति बंजारा उम्र.....  
निवासी रामबाडी का होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. 406/07 में नियत दिनांक  
30-03-24  
को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि 500 रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर जमानतदार

मुचलका नामा

मैं प्रहलाद पुत्र हाकरिया जाति बंजारा उम्र 49 वर्ष  
निवासी रामबाडी को होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. 406/07 में नियत,  
30-03-24  
दिनांक ..... को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका 500 रुपये के पेश करता हूँ  
कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में यह  
मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर

  
वन चौकी साई  
वन परिक्षेत्र रघोपुर (म.प्र.)





RC No. 46/2024

कार्यवाही का तख्ता (मुकदमा का रोजनामचा)

- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ
- (2) मुलजिमों के नाम, व सकूनत
- (3) तारीख बकूआ जुर्म 30/03/2024
- (5) मता बताने वाले की और वक्त \_\_\_\_\_
- (7) इब्तदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 30/03/2024

0.444 ईक्टयेर वन भग्नि में अर्बध अतिक्रमण  
 संतराबाई पत्नी हरिशंकर निवासी रामबाड़ी  
 (4) पता लगाने वाले ऑफिसर का नाम श्री पूरुष सिंह जाटव  
 (6) इब्तदाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी P.O.F. No. 406  
 रवानगी कर तारीख और वक्त 9  
 दिनांक 30-03-24

(1) तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	(2) मुकाम	(3) तहकीकात करने वाले ऑफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप हर एक इद्राज पर तहकीकात करने वाले ऑफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज कराना चाहिये	(4) हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख
30/03/2024	वन चौकी सोंई	<p>मूलतः:- श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय श्योपुर की सेवा में वन अपवैध प्रकरण F.O.C.R पंजी में दर्ज वास्ते वादर संप्रेषित है।</p> <p style="text-align: center;">             प्रभारी            वन चौकी सोंई            वन परिक्षेत्र श्योपुर (न.प्र.)         </p> <p>जा.हं. 831/4.4.24</p> <p>मूलतः वन चौकी प्रभारी सोंई की ओर से जाकर लेख है कि प्रकरण की सम्पूर्ण जांच 07 दिनांक में पूर्ण कर अपराधी के विरुद्ध भापालय में परिवार प्रहृत कर इस कार्यालय में <del>कानून</del> शरणागत कराये।</p> <p style="text-align: center;">             वन परिक्षेत्राधिकारी            वन परिक्षेत्र श्योपुर (न.प्र.)         </p>	



AC No. 46/2024

(MPFO-3-2004)

मध्य प्रदेश शासन

द्वितीय प्रति

(परिक्षेत्र प्रति)

वन विभाग

क्रमांक. 406

पृष्ठ क्रमांक. [REDACTED]

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 30/03/2024

वनमण्डल [REDACTED] परिक्षेत्र [REDACTED]

बोट [REDACTED] परिक्षेत्र सहायक वृत [REDACTED]


1.	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता 1. श्रीमती लता पाणि हीराका वन 3424
2.	1. [REDACTED] - रावदा
3.	
2.	वन अपराध का प्रकार :- [REDACTED] 192 अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ [REDACTED] द्वारा उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ 26(1) ज आरां मशीन/सीमा चिह्न बदलना/अन्य
3.	वन अपराध घटित/संज्ञान होने का [REDACTED] परिक्षेत्र स्थल :- [REDACTED]
4.	वन अपराध घटित होने की तिथि/ 30/03/2024 अनुमानित अवधि :-
5.	जपशुदा वनोंपज/वाहन/औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6.	गवाहों के नाम एवं पता :- 1. मनोज गौड़ [REDACTED] 2. [REDACTED]
7.	घटना का संक्षिप्त विवरण :- [REDACTED] [REDACTED] वन क्षेत्र पर [REDACTED]
8.	वन अधिकारी के हस्ताक्षर [REDACTED] नाम : सुरेश जी [REDACTED] पद : [REDACTED]
9.	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक

शा.सं.म.वा-769-बमसावमंशयोपुर-28-2-14-500 बुक्स





हम नीचे हस्ताक्षर कर रहे वाले पंच पंचान सड़ी - सही तस्दीक कर यह पंचनामा लिखा देते है कि आज दिनांक 30/03/2024 को श्रीमान वन-परिक्षेत्राधिकारी मसोद्य श्योपुर के कार्यालयीन वन क्र० 480 दिनांक 29/02/2024 के परिपालन में वन चौकी प्रभारी सौई के हमराह रहकर वन स्टाफ सौई बीट डबली पश्चिम के वन कस क्र० RF 192 में पूर्व का अतिक्रमण की जांच हेतु मौके पर गए। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमक द्वारा गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे अतिक्रमक (अतिक्रमि क्षेत्र) मौके से काटकर ले गया। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र में फसल नहीं मिली। अतिक्रमित क्षेत्र में एक माहिना गेहूं की बालियाँ बीते हुए मिली। जिसका नाम पता पछने पर उसने अपना नाम श्रीमती संतराबाई पत्नी हरिशंकर बंजारा निवासी रामबाड़ी जिमा श्योपुर की होना बताया। तथा कहा कि यह मेरा खेत है उक्त खेत (अतिक्रमित क्षेत्र) में मेरे पात्र एवं ससुर जी द्वारा खेती की जाती थी। अब वर्तमान में मैं खेती कर रही हूँ। मेरे द्वारा उक्त क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गयी थी। जिसे मैंने काट लिया है। और अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए उक्त गेहूं की फसल को बाजार में बेच दिया। मौके पर अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण करते पर 0.444 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण होना पाया गया। मौका पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जरूरतकाम आवे। पंचनामा पढ़ा, सुना सही-साया बाद हस्ताक्षर किए।


पंचनामा मेरे द्वारा लिखित है

  
 वीर-डावल पत्रिक  
 नारायण वाहन पनापल  
 किया गया  
 Sarab  
 सौरभ शर्मा  
 (ब-र)

हस्ताक्षर अतिक्रमक

  
 वन चौकी प्रभारी  
 सौई




  
 सौई  
 वीर-डावल पत्रिक  
 30/03/2024



मध्य प्रदेश शासन वन विभाग  
जप्ती नामा फार्म

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत)

दिनांक एवं समय	अपराधी का नाम तथा सकूनत	जप्तशुदा माल का विवरण	जप्ती हैमर का निशान	माल जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद	गवाह जिनके समक्ष माल जप्त किया	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उनके हस्ताक्षर
5-2-20-02	श्री श्री संतरा पत्नी इच्छिकाटकेवा निवासी रागबडी	बूट डकली परिधिग के वनकर्म आठ R.N. 192-30 0.444 हेक्टर क्षेत्र पटवर्षे व अति-आक	-	श्री सुरन सिंह जाय छापिवाट्ट वनपात्र	1- श्री प्रगोज सिंग वनरक्षक 2- श्री दीरज शर्मा वनरक्षक	 श्री क. प्रसाद

साक्षी एवं उनका पूरा नाम  
1- श्री रागव शर्मा वनरक्षक  
2- श्री दीरज शर्मा वनरक्षक

  
Sarabh

जप्त करने वाले ऑफिसर के हस्ताक्षर  
श्री क. प्रसाद




RC No. 46/2024 जमानत नामा


मैं जमानतदार शो.पाल पुत्र हाकरिया जाति कांजारा उम्र.....  
निवासी शमबाड़ी का होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. .... में नियत दिनांक  
..... को उपस्थित करने बावत् जमानत राशि ..... रुपये को देकर इकरार करता हूँ कि  
उक्त साक्षी को माननीय न्यायालय में उपस्थित कर दूंगा। अगर इसमें चूक करू तो यह जमानत  
राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर जमानतदार

### मुचलका नामा

मैं संतोष पुत्र/पत्नी हरीशंकर जाति कांजारा उम्र 36।  
निवासी शमबाड़ी को होकर न्यायालय ..... के प्रकरण क्रं. .... में निय  
दिनांक ..... को उपस्थित बावत् स्वयं के लिखतम् मुचलका ..... रुपये के पेश करता  
कि मैं उक्त तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित न होने की दशा में  
मुचलका राशि मेरी चल अचल सम्पत्ती से वसूल कर ली जायें।

  
हस्ताक्षर

  
प्रमारी  
वन चौकी सॉई  
वन परिक्षेत्र श्योपुर (म.प्र.)